10 राज्यों में 7 दिन का हीटवेव

▸ मानसून अगले हफ्ते पहुंचेगा केरलम्

नई दिल्ली, 19 मई. दक्षिण-पश्चिम मानसून ने भारत की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है. फिलहाल यह अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी सिरे से लेकर उत्तरी सिरे तक छा चुका है. मौसम विभाग ने तय तारीख एक जून से पहले 22 से 26 मई के बीच मानसून के केरलम पहुंचने की संभावना जताई है. इस बार मानसून की रफ्तार धीमी रहने की आशंका ज्यादा है. इसलिए लगातार बारिश के बजाय मानसून बार-बार अटकेगा. एक ही जगह ठहरा रहेगा. इसमें बिना बारिश के दिनों की संख्या ज्यादा रह सकती है. जून से सितंबर के दौरान 7 से 14 दिन तक के कई ब्रेक आ सकते हैं. इस बार मानसून पर 2002 जैसा खतरा दिख रहा है. तब मानसून 29 मई को केरल पहुंच गया था. सामान्य रूप से ये 35 से 38 दिनों में पूरे भारत को कवर कर लेता है. लेकिन, 2002 में उसे 79 दिन लगे थे और 15 अगस्त को मानसून पूरे देश में छाया था. इस बीच अगले 7 दिन उत्तर और मध्य भारत के 10 राज्यों में हीटवेव का अलर्ट है. निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक मंगलवार को पूर्वोत्तर और दक्षिणी इलाकों को छोड़कर लगभग आधे देश में हीटवेव का असर रहेगा. औसत तापमान 45एष्ट तक रह सकता है.उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र में सोमवार को अधिकतम पारा 46 डिग्री से ज्यादा रहा. उत्तर प्रदेश का बांदा 47.6 डिग्री के साथ देश में सबसे गर्म रहा. पंजाब के बठिंडा में 47 डिग्री तापमानर दर्ज किया गया.

मोदी सरकार ने किया है महंगाई को नियंत्रित : चौधरी

झुंझुनू, 19 मई. राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में हाल ही में हुई बढ़ोतरी और महंगाई को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष कैलाश चौधरी ने कहा है कि तेल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तय होती हैं लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन कीमतों को काफी हद तक नियंत्रित किया हुआ है। श्री चौधरी मंगलवार को राजस्थान में झुंझुनू में किसान मोर्चा की बैठक में शामिल होने आये थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई पर लगातार नजर बनाए हुए है। उन्होंने राष्ट्रहित में ईंधन की बचत करने का आह्वान किया.

भारतीय नागरिकता नियम में बड़ा बदलाव

▸ पाक, अफगान- बांग्लादेश को पासपोर्ट सौंपना होगा

▸ नागरिकता हेतु पासपोर्ट सरेंडर करना अनिवार्य

नई दिल्ली,19 मई. नई दिल्ली में गृह मंत्रालय ने नागरिकता नियम, 2009 में बड़े संशोधन के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों के लिए भारतीय नागरिकता प्रक्रिया में नया कदम उठाया है. अब इन देशों के नागरिकों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले अपने मूल देश के पासपोर्ट को सरकार के पास सौंपना अनिवार्य होगा. इस संबंध में सोमवार को गृह मंत्रालय ने एक नई अधिसूचना जारी की. नए संशोधन के तहत, आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता और कानूनी स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए आवेदकों को अपने मूल देश की पासपोर्ट स्थिति की घोषणा करनी होगी। नागरिकता नियम, 2009 में इस बदलाव को लागू करने के लिए एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया है. सरकार का उद्देश्य यह है कि नागरिकता प्रक्रिया पूरी तरह वैधानिक और नियंत्रित रहे, और किसी भी संभावित धोखाधड़ी या अवैध आवेदन की संभावना को न्यूनतम किया जा सके. यह कदम उन देशों के नागरिकों के लिए भारतीय नागरिकता की प्रक्रिया को और अधिक सख्त और व्यवस्थित बनाएगा. इससे आवेदकों की पहचान और उनके कानूनी दस्तावेजों की पुष्टि आसान होगी. नागरिकता प्रक्रिया में शामिल सभी अधिकारियों को भी यह निर्देश दिए गए हैं कि वे नए नियमों का पालन सुनिश्चित करें और किसी भी उल्लंघन की स्थिति में उचित कार्रवाई करें. गृह मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि नियमों के तहत पासपोर्ट न सरेंडर करने वाले आवेदकों की नागरिकता प्रक्रिया को रोकने का अधिकार सरकार के पास सुरक्षित रहेगा.

एनसीआर को मिलेगी रफ्तार : गडकरी

जेवर एयरपोर्ट तक होने वाली कनेक्टिविटी से करोड़ों यात्रियों को मिलेगा लाभ

नई दिल्ली, 19 मई. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर में कनेक्टिविटी को मजबूत करने और नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (जेवर) तक निर्बाध संपर्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकसित की जा रही डीएनडी-फरीदाबाद-सोहना एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे परियोजना का निरीक्षण किया और कहा कि इसके पूरा होने से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यातायात को रफ्तार मिलेगी तथा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और जेवर एयरपोर्ट तक बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी. गडकरी ने निरीक्षण के दौरान संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि करीब 59.063 किमी लंबे इस हाई-स्पीड छह लेन एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोहना के बीच संपर्क बेहतर होगा तथा यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है. उन्होंने बताया कि भारतमाला परियोजना के तहत विकसित हो रहे इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत करीब 4,463 करोड़ रुपये है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आधुनिक परिवहन अवसंरचना को नया आयाम देगी और दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते दबाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है. जिसमें 140 मीटर लंबा 'नेटवर्क आर्क ब्रिज' प्रीकास्ट सेग्मेंटल निर्माण तकनीक, उच्च-शक्ति ई-450 स्टील, ध्वनि अवरोधक, वृक्षारोपण का ध्यान रखा जाएगा.

आज का इतिहास

1293 - जापान के कामाकुरा में आए भूकंप में 30 हजार लोगों की मौत

1378 - बहमनी सुलतान दाऊद शाह की हत्या

1421 - दिल्ली के पहले सैयद शासक खिज्र खान की मौत

1609 - विलियम शेक्सपियर की कविताओं के पहले संग्रह का लंदन में प्रकाशन

1766 - इंदौर के होल्कर वंश के प्रवर्तक मल्हारराव होल्कर का निधन

1873 - सान फ्रैंसिस्कों के कारोबारी लेवी स्ट्रॉस और दर्जी जेकब डेविस को जीन्स का पेटेंट मिला

केजरीवाल-आप नेताओं को नोटिस

नई दिल्ली, 19 मई. दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और विनय मिश्रा समेत कई नेताओं को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित अवमाननापूर्ण अभियान चलाने के आरोप में नोटिस जारी किया है.

अदालत की डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर दुडेजा शामिल हैं, ने सभी आरोपियों से लिखित जवाब मांगा है।मामला शराब नीति घोटाले की सुनवाई से जुड़ा है.

दिल्ली दंगा के आरोपी को जमानत नहीं

नई दिल्ली, 19 मई. उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की साजिश मामले में जेल में बंद उमर खालिद को कल दिल्ली की अदालत से बड़ा झटका लगा. अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसमें उमर ने अपने अंकल के चेहल्लुम और मां की प्री और पोस्ट सर्जरी के दौरान उनकी देखभाल के लिए 15 दिन की राहत मांगी थी.

पश्चिम रेलवे - रतलाम मंडल

पे एंड यूज टॉयलेट्स के लिए ई -नीलामी

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक - रतलाम मंडल -पश्चिम रेलवे ने सीहोर, देवास (प्लेटफॉर्म), चंदेरिया, नागदा (सर्कुलेटिंग एरिया), मंदसौर, मेघनगर, नागदा (प्लेटफॉर्म), खाचरोद, नीमच एवं राजेन्द्र नगर रेलवे स्टेशन स्थित पे एंड यूज टॉयलेट्स के लिए ई -नीलामी आमंत्रित की है। केटलॉग को **IREPS** वेबसाइट (ई-ऑक्शन) पर प्रकाशित किया गया है। विवरण निम्न प्रकार से है। **केटलॉग सं.** : PnU-RTM-26-04. **अनुबंध का प्रकार** : पे एंड यूज़ टॉयलेट्स **लॉट नं.** : PnU-RTM-SEH-Toi-49-25-1 (Pay and Use Toilets), PnU-RTM-DWX-Toi-33-24-1 (Pay and Use Toilets), PnU-RTM-CNA-Toi-48-25-1 (Pay and Use Toilets), PnU-RTM-NAD-Toi-10-22-1 (Pay and Use Toilets), PnU-RTM-MDS-Toi-45-25-1 (Pay and Use Toilets), PnU-RTM-MGN-Toi-36-24-2 (Pay and Use Toilets), PnU-RTM-NAD-Toi-37-24-1 (Pay and Use Toilets), PnU-RTM-KUH-Toi-38-25-1 (Pay and Use Toilets), PnU-RTM-NMH-Toi-44-25-1 (Pay and Use Toilets), PnU-RTM-RJQ-Toi-12-22-1 (Pay and Use Toilets). अनुबंध की अवधि - 03 वर्ष, ई -नीलामी की तिथि और समय लॉट के लिए ई-नीलामी **दिनांक 04.06.2026 को 11:00 बजे** प्रारंभ होगी। प्रारंभिक कुलिंग ऑफ अवधि 30 मिनट है। अनुक्रमिक लॉट को बंद करने का अंतराल 10 मिनट है। **IREPS** के ई-ऑक्शन मॉडयूल पर लॉटवाइज समापन समय देखा जा सकता है।

SNP-063

हमें लाइक करें : facebook.com/WesternRly | हमें फॉलो करें : x.com/WesternRly

Chola Enter a better life

चोलामंडलम निवेश और वित्त कंपनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय: चोला क्रेस्ट, सी54 और 55, सुपर बी-4, थिरु वी का औद्योगिक एस्टेट, गिंडी, चेन्नई-600 032, टी. एन.

ऋण लेने वाले की सूचना

बिक्री सूचना (निजी समझौते द्वारा) [सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (5) और (6) को नियम 9(1) के साथ पढ़ा जाए] # [सुरक्षा हित का नियम 6 (प्रवर्तन) नियम 2002]

आम जनता को, और विशेष रूप से कॉलम (ए) में उल्लिखित उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति(संपत्तियां), जिनका विवरण कॉलम (सी) में दिया गया है, जो सुरक्षित ऋणदाता के पास गिरवी/बंधक हैं और जिनका कब्जा कॉलम (सी) में वर्णित अनुसार आवास विभाग के अधिकृत अधिकारी, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (सुरक्षित ऋणदाता) द्वारा ले लिया गया है, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार "जैसा है, जहां है", "जैसा है वैसा ही" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेची जाएंगी: इसके द्वारा उधारकर्ता/गिरवीदार/कानूनी वारिस, कानूनी प्रतिनिधि (चाहे ज्ञात हों या अज्ञात), निष्पादक, प्रशासक, उत्तराधिकारी और संबंधित उधारकर्ता/गिरवीदार (अब दिवंगत) के असाइनियों को सूचित किया जाता है, जैसा कि कॉलम (ए) में दशार्या गया है। धारा [नियम 8 (5) और (6) के साथ पठित सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1)] के तहत बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया चोलामंडलम निवेश एवं वित्त कंपनी लिमिटेड में दिए गए लिंक को देखें।

	(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई और एफ)
स. क्र.	ऋण खाता संख्या / उधारकर्ता/ऋणकताओं के नाम / बंधककर्ता/ बंधककर्ता/ गारंटर/ गारंटर	ओ/एस बकाया राशि वसूली के लिए (सुरक्षित ऋण)	अचल संपत्ति/प्रतिभूति का विवरण	प्रकार कब्जा	आरक्षित मूल्य (रु. में) / नीलामी की तिथि
1.	ऋण खाता नं.(एस). : HL09IND000062299 1. श्रीमान/श्रीमती। बद्रीलाल 2. श्रीमान/श्रीमती। निर्मला क्रम स.1 और 2 के लिए पताः ग्राम करवासा, बेटमा इंदौर, मंदिर, इंदौर, म.प्र.- 453001 क्र.1 और 2 के लिए पताः LIG प्लॉट नं. एल-2 पीएच नं. 37 श्री श्याम विहार कॉलोनी सलामपुर बेटमा रोड देपालपुर 453001	रू. 21,91,166/- (ईक्कीस लाख ईन्क्यानवे हजार एक सौ छियासठ मात्र) 14-10-2025 तक	साइट के अनुसार पताः- -/LIG प्लॉट संख्या 2, पीएच नं. 37, श्री श्याम विहार कॉलोनी, सालमपुर देपालुर, इंदौर - 453001 मध्य प्रदेश दस्तावेज के अनुसार पताः- एल 02 बेटमा रोड, देपालपुर। सीमाएँ योजना/ दस्तावेज/ लेआउट के अनुसारः- पूर्व - प्लॉट संख्या ई-3, पश्चिम - रोड, दक्षिण - प्लॉट संख्या एल-1, उत्तर- प्लॉट संख्या एल-3। वास्तविक साइट के अनुसारः- पूर्व - प्लॉट संख्या ई-3, पश्चिम - रोड, दक्षिण - प्लॉट संख्या एल-1, उत्तर - प्लॉट संख्या एल-3।	भौतिक कब्जा	रू. 13,00,000/- (तेरह लाख मात्र) 13.06.2026

* ऋण समझौते के अनुसार लागू होने वाले अतिरिक्त ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि सहित, जो भुगतान की तिथि और/या उसकी वसूली की तिथि तक हुए हों।

दिनांक: 19.05.2026
स्थान: इन्दौर, मध्यप्रदेश

एसडी/-
अधिकृत अधिकारी,
चोलमंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के लिए

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति उज्जैन (म.प्र.)

Email- awmmpujj@nic.in / दूरभाष नंबर 0734-2562292

क्रमांक/मण्डी/स्टोर/2025-26 / 638 — उज्जैन दिनांक - 19/05/2026

// आर.ओ. + यू. वी. सिस्टम (1000 एल.पी.ए.), वाटर कूलर एवं चिलर के रिपेयरिंग कार्य हेतु निविदा सूचना //

एतद् द्वारा सर्वसम्बन्धितों को सूचित किया जाता है कि कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, उज्जैन के मंडी प्रांगण में लगे आर.ओ. + यू.वी सिस्टम, वाटर कूलर एवं चिलर के वर्ष 2026-27 में समय-समय पर सिस्टम खराबहोने पर आवश्यकतानुसार रिपेयरिंग कराये जाने हेतु सम्पूर्ण वर्ष के लिए सर्विस चार्ज एवं मरम्मत कार्य में लगाये गये / बदले गये सामग्रियों के भाव पत्रक की 03 लिफाफा पद्धति द्वारा निविदाएं दिनांक 28/05/2026 तक रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा या मंडी कार्यालय उज्जैन में स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय में अवकाश दिवसों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आमंत्रित की जाती है ।प्राप्त निविदाएँ दिनांक 29/05/2026 03:00 बजे उपस्थित निविदाकारों एवं उनकी प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी । रखरखाव कार्य हेतु धरोहर राशि रू. 50,000/- रहेगी जो डिमांड ड्राफ्ट अथवा एफ. डी. आर के रूप में रेवेन्यु टिकट पर हस्ताक्षरयुक्त अथवा डिमांड ड्राफ्ट के रूप में सचिव कृषि उपज मंडी समिति उज्जैन के नाम पर देय होगी। सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी । धरोहर राशि की एफ. डी. आर. अथवा डिमांड ड्राफ्ट प्रस्तुत किये जाने पर ही निविदा प्रपत्र का लिफाफा खोला जावेगा। कार्य की इच्छुक एजेन्सी / फर्म / संस्था निविदा प्रपत्र हेतु राशि रूपये 1000/- (एक हजार मात्र) कार्यालयीन लेखा शाखा में जमा कर दिनांक 28/05/2026 दोपहर 3 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं । निविदा की विस्तृत शर्तें कार्यालयीन समय में देखी जा सकती है। प्राप्त निविदाओं को स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अधिकार मंडी समिति उज्जैन के पास सुरक्षित रहेगा।

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
उज्जैन (म. प्र.)

भारसाधक अधिकारी
कृषि उपज मण्डी समिति
उज्जैन (म. प्र.)

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 501, सैलकॉन ऑरम, जसोला जिला केंद्र, नई दिल्ली - 110025, सीआईएनः U65900DL2020PLC366027

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता, जिन्होंने शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (जिसका प्रधान कार्यालय तीसरी मंजिल, एडीडी इंडिया टावर, सेक्टर 125, नोएडा-201303 में स्थित है) से ऋण लिया है, अपने ऋण का ब्याज चुकाने में विफल रहे हैं और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार उनके ऋण खातों को निष्पादित (एनपीए) घोषित कर दिया गया है। उधारकताओं ने शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को अचल संपत्तियों की जमानत दी है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। ऋण का विवरण और उधारकताओं द्वारा शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को देय बकाया राशि का विवरण नीचे दिया गया है।

ऋण लेने वाले/सह-ऋण लेने वाले और आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैं, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का अधिकृत अधिकारी, जो एक सुरक्षित ऋणदाता है, ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESI अधिनियम) के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित ऋण लेने वाले/सह-ऋण लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। यदि निम्नलिखित ऋण लेने वाले इस सूचना की तिथि से 60 (साठ) दिनों के भीतर अपने नाम के आगे दर्शाई गई बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो मैं SARFAESI अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) के तहत सुरक्षित ऋणदाता को प्रदत्त एक या अधिक शक्तियों का प्रयोग करूंगा, जिसमें संपत्तियों पर कब्जा करने और उन्हें बेचने की शक्ति भी शामिल है। आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे नीचे वर्णित संपत्ति से संबंधित कोई लेन-देन न करें।

ऋण लेने वाले/गारंटर एवं बंधककर्ता का नाम	सुरक्षित परिसंपत्तियों/संपत्ति का विवरण
1. श्री राधेश्याम जटिया पुत्र श्री बालू जटिया (उधारकर्ता/बंधककर्ता) 26, वार्ड क्रमांक 17, ग्राम दमदम, पोस्ट उदयपुरा तह. एवं जिला. मंदसौर, मध्य प्रदेश, 458895 2. श्रीमती राधा बाई पत्नी श्री राधेश्याम जटिया (सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता) 26, वार्ड क्रमांक 17, ग्राम दमदम, पोस्ट उदयपुरा तह. एवं जिला. मंदसौर, मध्य प्रदेश, 458895	संपत्ति पर समतुल्य बंधकः मध्य प्रदेश के मंदसौर तहसील एवं जिला, दमदम, वार्ड संख्या 17, मकान संख्या 34, मकान संख्या 117 में स्थित 1800 वर्ग फुट (167.22 वर्ग मीटर) की आवासीय संपत्ति। उप-पंजीयक कार्यालय में क्रमांक MP249392024A1410480, दिनांक 29-03-2024 को पंजीकृत। श्री राधेश्याम जटिया पुत्र श्री बालू जटिया और श्रीमती राधा बाई पत्नी श्री राधेश्याम जटिया के नाम पर। सीमाएँः पूर्वः खुला मैदान, पश्चिमः खेमराज का मकान, उत्तरः खुला मैदान, दक्षिणः साझा सड़क
	ऋण खाता संख्या, मांग सूचना की तिथि और राशि
	ऋण खाता संख्याः 103041541910, मांग सूचना दिनांकः 19-05-2026 बकाया राशिः रू. 5,22,000/- (पांच लाख बाईस हजार मात्र) 06-05-2026 तक
	एनपीए दिनांक : 05.04.2026

दिनांक: 19.05.2025, स्थानः नोएडा — **अधिकृत अधिकारी, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**

CENTRUM Home Loans Aao milkar ghar banaye

कॉर्पोरेट और पंजीकृत कार्यालयः यूनिट नंबर 801, सेंट्रम हाउस, सीएसटी रोड, विद्यानगरी मार्ग, कलिना सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई - 400098,
सीआईएन नंबर U65922MH2016PLC273826

कब्जा नोटिस

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) और नियम 8(2) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जबकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी हैं तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर को नोटिस में उल्लिखित बकाया राशि को संविदागत ब्याज, दंडात्मक ब्याज, शुल्क, लागत आदि सहित उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी किया जाता है। उधारकर्ता द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित, नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। उधारकर्ता विशेष रूप से और आम जनता को इस संपत्ति से कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा उस पर संविदात्मक ब्याज और दंडात्मक ब्याज, शुल्क, लागत आदि की राशि के प्रभार के अधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है।

स. क्रं.	ऋण खाता सं. उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता का नाम/	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण (अचल संपत्ति)	मांग की तिथि नोटिस और कुल बकाया राशि (रु.)	कब्जा लेने की तिथि
1	UDRNM24018383/ देवेंद्र कुमार/ करिश्मा कुमारी	अचल संपत्ति के अधिकार, भाग और अंश में मकान सं.139, क्षेत्रफल 2826 वर्ग फुट, भूमि सर्वेक्षण सं.989, पीएच नं. 24, वार्ड सं.07, ग्राम- हरवार, तहसील-जीरान, जिला- नीमच - 458336, म.प्र. सीमाएँः- पूर्वः बापुलाल पुत्र हरलाल का घर, पश्चिमः चानरानसिंह पुत्र किशोरीलाल का घर, उत्तरः स्वामी का आंगन, दक्षिणः कंचन बाई का घर और साझा सड़क	29-नवंबर-25/ रु. 7,80,168/- (सात लाख अस्सी हजार एक सौ अड़सठ मात्र)	18-05-2026
2	IDRUJ17000451 - IDRUJ17000507 देवकन्या (कानूनी उत्तराधिकारी) स्व. अशोक कुमार राजश्री)/ का कानूनी उत्तराधिकारी स्व. अशोक कुमार राजश्री	अचल संपत्ति के अधिकार, भाग और अंश में प्लॉट संख्या 92, क्षेत्रफल 1000 वर्ग फुट, "क्षिप्रा विहार कॉलोनी", शंकरपुर, मैक्सी रोड, उज्जैन-456010, मध्य प्रदेश। सीमाएँः- पूर्वः कॉलोनी रोड पश्चिमः संपत्ति संख्या 99 उत्तरः संपत्ति संख्या 93 दक्षिणः कॉलोनी रोड	30-दिसंबर-25/ रू. 5,63,000/- (पांच लाख तिरेसठ हजार मात्र)	16-05-2026

दिनांक : 20.05.2026
स्थानः मध्यप्रदेश

एसडी/-
सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए अधिकृत अधिकारी

shubham

शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड

कार्पोरेट कार्यालय : 425, उद्योग विहार फेस -IV, गुरूग्राम -122015 (हरियाणा)
फोन: 0124-4212530/31/32, ईमेल : customercare@shubham.co, वेबसाईट - www.shubham.co

अचल संपत्ति/(यों) की नीलामी सह विक्रय हेतु आम सूचना

नियम 8 (6) / 9 (1) एवं परिशिष्ट -IV- ए के प्रावधानों के अनुसार अचल सपंत्तियों के विक्रय की आम सूचना
(सिक्योटराईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंट्रेस्ट एक्ट 2002, के अंतर्गत)

जहाँ कही, अधोहस्ताक्षरकर्ता शुभम हाऊसिंग डेवलपमेंट फायनेंस लिमिटेड (यहाँ आगे कंपनी कहा जायेगा) के प्राधिकृत अधिकारी में से एक हैं। अधोहस्ताक्षरकर्ता शुभम हाऊसिंग डेवलपमेंट फायनेंस लिमिटेड के बतौर प्राधिकृत अधिकारी सिक्यूरीटाईजशेन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनेन्सियल एस्टेटस एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंट्रस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंट्रस्ट (इफोर्समेंट) नियम 2002 (अधिनियम) का नियम 9 के अनुपालन के साथ सिक्युरिटी इंट्रस्ट (इंफोर्समेंट) रुल्स, 2002 (नियम) नियम 9 में प्रदत्त शक्तियों को सपठित धारा 13 (2) के अंतर्गत नीचे संबंधित ऋणकर्ताओं जिनके नाम नीचे कॉलम (सी) में तिथि पर जो कॉलम (डी) में और चुकाये जाने वाली शेष राशि कॉलम (ई) में दशाई गई है, को प्रत्येक खातें में वर्णित राशि का पुर्नभुगतान उपरोक्त सूचना की प्राप्ती दिनांक / सूचना की दिनांक से 60 दिवस में करने हेतु बुलाया गया था।

ऋणकर्ता/ओं राशि का भुगतान करने में असफल रहे है, इस एतद सूचना द्वारा ऋणकर्ता/ओं को एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने नियम की धारा 13 (4) के साथ सपठित उपरोक्त नियम 9 के अंतर्गत उनको / उन्हे प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाते के समक्ष दर्शायी गयी दिनांक को नीचे कॉलम (एफ) में दर्शाई वर्णित सम्पत्ति / यों पर नीचे कॉलम (एच) दर्शाई तिथि को अधिग्रहण कर लिया है। ऋणकर्ता को विशेष तौर पर एवं आम जनता को सामान्य तौर पर सावधान किया जाता है कि कॉलम (एफ) में दर्शाई संपत्तियों के साथ संव्यवहार न करें और इन संपत्तियो के साथ कोई भी व्यवहार कॉलम (जी) में दर्शाई राशि के लिए शुभम हाऊसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड के प्रभार के अंतर्गत होगा । अब, ऋणकर्ताओं और आम जनता को यह सूचना भी दी जाती है कि प्रत्येक संपत्ति के लिये कॉलम (के) में दर्शाई तिथि, समय और स्थान पर संपत्तियों का विक्रय किया जायेगा।

क्र. सं.	आवेदन संख्या	ऋणकर्ता (औं) का नाम एवं पता	धारा 13(2) के तहत सूचना की तिथि	मांग सूचना राशि	बंधक संपत्ति का विवरण	वर्तमान देय राशि (14.05.2026 तक)	अधिकरण की तिथि एवं प्रकार	आरक्षित राशि (रु.)	ईएमडी (रु.) आरक्षित मूल्य का 10%	नीलामी की तिथि, समय व स्थान
ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी	एच	आई	जे	के
1.	DEW_1401_015979	तेज सिंह पटेल, सुनीता बाई, ग्राम सरसोदा पोस्ट भौरासा, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास, मध्य प्रदेश -455001	20-02-2024	₹ 12,84,096/-	कृषि प्लॉट भूमि जो सर्वे संख्या 956/1 अमोना रोड वार्ड नंबर 2 तहसील टोंक खुर्द जिला देवास मध्य प्रदेश -455001 में स्थित है	₹ 20,23,587/-	12-03-2026 (भौतिक)	₹ 20,92,748/-	₹ 2,09,274/-	08-06-2026, 10:00 AM to 4:00 PM, मकान संख्या 290/1, नया 615, भूतल, भवारताल गार्डन के पास, स्पंदन अस्पताल के सामने, नेपियर टाउन, जबलपुर, मध्य प्रदेश - 482002
2.	0INA240800000508952 5	रजनीश साहनी, ममता देवी, मकान नंबर 309 पंचमूर्ति नगर, मध्य प्रदेश-452002	15-01-2026	₹ 24,11,147/-	नया मकान नंबर 64-SR-16, (पुराना मकान नंबर 48), राम नगर, वार्ड नंबर 6, जोन नंबर 2, तहसील एवं जिला इंदौर, मध्य प्रदेश - 452010 / क्षेत्रफल 600 वर्ग फुट / चतुर्सीमाः (पूर्व - सड़क, पश्चिम - मकान के पीछे वाली गली, उत्तर - मुकेश का मकान, दक्षिण - मनोज का मकान)	₹ 25,02,334/-	18-04-2026 (सांकेतिक)	₹ 21,12,000/-	₹ 2,11,200/-	22-06-2026, 10:00 AM to 4:00 PM, मकान संख्या 290/1, नया 615, भूतल, भवारताल गार्डन के पास, स्पंदन अस्पताल के सामने, नेपियर टाउन, जबलपुर, मध्य प्रदेश - 482002

नोट : कंपनी की जानकारी के अनुसार उपरोक्त संपत्तियों पर कोई भार नहीं हैं।

नीलामी सह विक्रय के लिए नियम व शर्तें

आम नीलामी के लिए नियम व शर्तें : - बोली आमंत्रण द्वारा आम नीलामी की प्रक्रिया एवं नियम व शर्तें:

1. **सम्पत्तियों का निरीक्षण हेतु नंबर 1 दिनांक 05/06/2026, हेतु नंबर 2 दिनांक 19/06/2026 को प्रातः 10:00 बजे से सायं. 4:00 बजे के मध्य किया जा सकता है।**
2. विक्रय सरफेसी एक्ट / रुल्स 2002 के और इच्छुक / भागीदार बोलीकर्ताओं द्वारा जमा किये गये प्रस्ताव / बोली दस्तावेज के अनुसार यहाँ दर्शाई गई नियम व शर्तों के अनुसार उस पर कड़ाई से लागू शर्तों अनुसार होगा। इच्छुक बोलीकर्ताओं द्वारा जमा किए गए प्रस्ताव / निविदा प्रपत्र में दर्शाई गई नियम व शर्तों के अनुसार विक्रय होगा।
3. बोलीया ए